

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 297]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 17 जुलाई 2014—आषाढ़ 26, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2014

अधि. क्र. 20 एफ-1-31-2012-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, नीचे दी गई अनुसूची—एक में उल्लिखित क्षेत्रों को मुरैना जिले की नगरपालिका परिषद्, मुरैना की सीमाओं से अपवर्जित करते हैं, अर्थात्:—

अनुसूची—एक

नगरपालिका परिषद् मुरैना की सीमाओं से अपवर्जित किए गए ग्रामों के क्षेत्र निम्नानुसार होंगे:—

अनुक्रमांक	जिला	तहसील	अपवर्जित होने वाले ग्राम पंचायत का नाम	अपवर्जित होने वाले ग्राम का नाम	अपवर्जित होने वाले क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	क्षेत्र की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	मुरैना	मुरैना	मुंगावली	मुंगावली	910.226	सम्पूर्ण ग्राम
2.	मुरैना	मुरैना	जीगनी	जीगनी	1471.859	सम्पूर्ण ग्राम
3.	मुरैना	मुरैना	जगतपुर	जगतपूर	513.187	सम्पूर्ण ग्राम
4.	मुरैना	मुरैना	जेबराखेड़ा	जेबराखेड़ा	394.407	सम्पूर्ण ग्राम
5.	मुरैना	मुरैना	इमलिया	इमलिया	384.058	सम्पूर्ण ग्राम
6.	मुरैना	मुरैना	गंजरामपुर	गंजरामपुर	1151.00	सम्पूर्ण ग्राम
7.	मुरैना	जौरा	खनेता	खनेता	788.00	सम्पूर्ण ग्राम
8.	मुरैना	जौरा	सिलायथा	सिलायथा	696.85	सम्पूर्ण ग्राम
कुल योग . .					6309.587	

अनुसूची—दो

ऊपर अनुसूची—एक में विहित क्षेत्र को अपवर्जित करने के पश्चात्, नगरपालिका परिषद् मुरैना की पुनरीक्षित सीमाएं निम्नानुसार होंगी:—

उत्तर में—क्वारी नदी.

पूर्व में—मुडियाखेड़ा ग्राम की बाहरी राजस्व सीमा तक.

दक्षिण में—आसन नदी.

पश्चिम में—मुरैना गांव की बाहरी राजस्व सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2014

क्र. एफ-1-31-2012-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना, क्रमांक 20-एफ-1-31-2012-अठारह-3, दिनांक 15 जुलाई 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.

Bhopal, the 17th July 2014

Not. No. 20-F-1-31-2012-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5-A of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the Governor of Madhya Pradesh, is pleased to exclude the areas mentioned in Schedule-I below from the limits of the Municipal Council, Morena, District Morena, namely:—

“SCHEDULE—I

The area of the villages excluded from the limits of Municipal Council, Morena shall be as follows:—

S. No.	Distric	Tehsil	Names of Panchayat to be excluded	Names of villages to be excluded	Area to be excluded in hectare	Limits of the area
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Morena	Morena	Mungawali	Mungawali	910.226	Whole of the village
2.	Morena	Morena	Jigni	Jigni	1471.859	Whole of the village
3.	Morena	Morena	Jagatpur	Jagatpur	513.187	Whole of the village
4.	Morena	Morena	Jebrakhera	Jebrakhera	394.407	Whole of the village
5.	Morena	Morena	Imliya	Imliya	384.058	Whole of the village
6.	Morena	Morena	Ganjrampur	Ganjrampur	1151.00	Whole of the village
7.	Morena	Joura	Khaneta	Khaneta	788.00	Whole of the village
8.	Morena	Joura	Silaytha	Silaytha	696.85	Whole of the village
Total Area . .					6309.587	

SCHEDULE—II

The revised boundaries of the Municipal Council, Morena, after excluding the area prescribed in Schedule-I above are as follows:—

North—Kuari River.

East—Outer revenue Bonoundary of village Mudiyakhera.

South—Assan River.

West—Outer Revenue Boundary of village Morena.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. K. KATIYA, Dy.Secy.